भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 440

(दिनांक 25.07.2024 को उत्तर के लिए)

पेपर लीक होने की घटनाएं

440#. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं बढ़ रही हैं;
(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का परीक्षा-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त पेपर लीक की घटनाओं से कितने छात्रों और अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) गत दो वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एससीसी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आई.बी.पी.एस.) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने की किसी घटना/दृष्टांत की सूचना नहीं मिली है।

हाल ही में, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 5 मई, 2024 को ओ एम आर (लिखित-पेन एंड पेपर) माध्यम से नीट (यूजी) परीक्षा का आयोजन किया। अभिकथित अनियमितता/नकल/छद्मरूपण/कदाचार के कुछ मामले सूचित किए गए थे। समीक्षा के पश्चात् , इस मामले को व्यापक जाँच के लिए दिनांक 22.06.2024 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया है।

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम और इनसे जुड़े अथवा उनसे प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024, अधिनियमित किया है, जो दिनांक 21 जून, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से प्रवृत्त किया गया है तथा तत्पश्चात् इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों को भी दिनांक 23 जून, 2024 की अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

*****